

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लंबितवादों की अद्यतन स्थिति माह 01/2019

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	कुल लंबित वाद	<b>59</b>	<b>4469</b>	<b>640</b>	<b>496</b>	<b>1907</b>	<b>7571</b>	<b>429</b>
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	<b>42</b>	<b>4251</b>	<b>624</b>	<b>473</b>	<b>1871</b>	<b>7261</b>	<b>416</b>
3	कुल अवशेष वाद	<b>17</b>	<b>218</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>310</b>	<b>13</b>
4	आवश्यकता नहीं	<b>7</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>107</b>	<b>5</b>
5	अवशेष वाद	<b>10</b>	<b>124</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>203</b>	<b>8</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिसासी अभियन्ता(वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वादों की अद्यतन स्थिति माह 01/2019

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा० सर्वोच्च न्यायालय				मा० उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकरण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	1	-	1	-	20	19	1	-	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	17	16	1	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०(बाढ़) लखनऊ	-	-	-	-	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	-	-	-	-	11	11	0	0	6	6	-	-	1	1	-	-	4	4	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	0	-	-	-	-	1	1	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3	-	-	263	254	9	-	48	48	-	-	102	101	1	-	136	135	1	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	7	5	-	2	915	829	23	63	102	101	0	1	29	29	-	-	349	347	-	2
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	1	1	-	-	110	108	2	-	12	12	0	-	26	26	-	-	54	54	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	-	-	-	-	168	160	2	6	33	31	2	-	36	16	19	1	112	103	8	1
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	2	-	-	94	85	3	6	15	13	1	1	1	1	-	-	46	44	2	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	2	2	-	-	115	114	1	-	14	14	-	-	28	28	-	-	41	41	0	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	19	19	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	2	1	1	-	158	153	1	4	45	45	-	-	42	40	2	-	161	152	9	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	190	185	2	3	34	33	1	-	34	34	-	-	19	18	1	-

15	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	1	1	-	-	42	38	4	-	5	5	-	-	2	2	-	-	18	17	1	-
16	मु0अ0, सोन, वाराणसी	3	3	-	-	333	320	12	1	45	44	1	-	15	15	-	-	340	337	3	-
17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	5	2	3	-	64	60	4	-	21	19	2	-	5	5	-	-	51	49	2	-
18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	0	0	-	-	108	108	-	-	18	17	1	-	30	30	-	-	38	38	0	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	4	4	-	-	207	202	5	-	18	15	3	-	12	12	-	-	202	202	-	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	19	19	0	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखन ऊ	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली	15	7	3	5	180	164	7	9	16	15	1	-	-	-	-	-	171	165	6	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखल I, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	1	1	-	-	315	307	8	-	47	46	1	-	31	31	-	-	30	30	0	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	4	-	-	323	311	12	-	37	36	1	-	28	28	-	-	30	30	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	4	3	1	-	346	340	6	-	27	27	0	-	26	26	-	-	55	55	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	4	3	1	-	349	332	17	-	35	35	0	-	9	9	-	-	36	36	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	80	79	1	-	8	8	-	-	28	28	0	-	10	10	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	8	8	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4469</b>	<b>4251</b>	<b>124</b>	<b>94</b>	<b>640</b>	<b>624</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>496</b>	<b>473</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1907</b>	<b>1871</b>	<b>33</b>	<b>3</b>

कुल लम्बित 7571  
वाद =

प्रतिशपथ-प  
त्र दाखिल - 7261

अवशेष 203  
-

आवश्यकता  
नही - 107

प्रतिहस्ताक्षरित

(अशोक कुमार  
सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि  
प्रकोष्ठ)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि  
प्रकोष्ठ)



15	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	मु0अ0, सोन, वाराणसी	-	-	-	-	19	19	0	-	6	4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	-	-	-	-	4	4	-	-	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	मु0अ0, बेतवा, झाँसी	-	-	-	-	4	4	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	-	-	-	-	10	8	2	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	नि0उ0प्र0जलए वं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	मु0अ0, यमुना, ओखला नई दिल्ली	1	1	-	-	9	9	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखल ा, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	27	26	1	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	15	15	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	-	-	-	-	20	20	-	-	6	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	29	29	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	9	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>344</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(जितेन्द्र कुमर सिंह)  
अधिशाली  
अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमर सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमर विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि  
प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 01/2019

1	2	3	4	5	6	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					12	13
						7	8	9	10	11		
संगठन का नाम		कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्तिम आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	जिनमें रिव्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस०एल०पी० दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तरण हेतु लम्बित है।		वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद हेतु अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	59	59	57	2	-	-	-	-	2	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०-बाढ़, लखनऊ	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ	4	3	1	2	2	-	-	1	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	18	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	22	22	14	8	3	-	-	-	1	0	-
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	11	9	7	2	1	1	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	146	58	36	22	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	25	15	10	5	2	-	-	3	-	-	-
18	मु०अ०, बेतवा, झाँसी	12	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-



19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	5	3	2	1	1		-	-	-	-	-
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0स0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना, ओखला, नई दिल्ली	21	14	6	8	2	-	-	-	-	6	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	137	137	84	53	49	0	0	2	2	-	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	39	39	17	22	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	238	238	231	7	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	75	75	31	44	42	2	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	49	49	32	17	1	12	1	-	3	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	5	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>1115</b>	<b>1003</b>	<b>800</b>	<b>203</b>	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

पतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 01/2019

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सवोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	0	1	0	0	0	1
2	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	0	1	0	0	0	1
3	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ।	0	2	0	0	0	2
5	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	0	0	2	0	0	2
6	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	0	1	0	0	1
योग		0	5	3	0	0	8

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशारी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

**सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ**  
**अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 01/2019 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।**

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ									
1	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	65/सी/2012	शिव बरन व अन्य	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	मूलवाद-2899/एस०एस०/2012	मस्टरराल वर्कचार्ज सेवा के आधार का जी०पी०एफ० कटौती।	-	अधि० अभि०रा०ख०द०शा०न० रायबरेली ने अपने पत्रांक-3564/दिनांक-20.12.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रशनगत अवमाननावाद में दिनांक-09.01.2013 को प्रतिपक्षी संख्या-02, श्री अशोक कुमार ओझा, प्रमुख अभि० एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई तथा प्रतिपक्षी सं०-03, श्री शशिकान्त शर्मा, मु०अ० शा०सहा० के नाम नोटिस निर्गत की गई थी। उक्त दोनों अधिकारी, सेवा निवृत्त हो चुके हैं। फलस्वरूप मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता इलाहाबाद बेंच लखनऊ से वर्तमान में कार्यरत प्रतिपक्षी सं०-02 के स्थान पर श्री विनय कुमार राठी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग तथा प्रतिपक्षी संख्या-03 के स्थान पर श्री राकेश कुमार गुप्ता मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के नाम संशोधित नोटिस निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है। संशोधित निर्गत नोटिस के उपरान्त ही प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।	-
मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी									
2	मौ०बा०नि० ख०-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका संख्या-46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया।	-	प्रकरण पर प्रतिशपथ-पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी०डी०वर्मा द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।	-
मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ									
3	नलकूप खण्ड लखीमपुर	850/सी/2017	मो० नईम खॉ मस्टरराल	श्री सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव, सिंचाई	255/एस०एस०/1996	मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-1805.1994 के अनुसार लाभ दिये जाने के आदेश	-	याची द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका में वांछित अभिलेख न लगाये जाने के कारण मा० न्यायालय द्वारा याची को 03 सप्ताह का समय अनुपूरक प्रतिशपथ-पत्र के माध्यम से वांछित अभिलेख दाखिल करने का आदेश दिया गया परन्तु अभी तक याची द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण प्रतिवादी को नोटिस जारी नहीं की गयी है।	-
मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।									

क्र 0 सं 0	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	मु0नगर खण्ड गंगा नहर, मु0नगर/प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ	5317/2018	मै0 तारा कन्स्ट्रक्शन कं0	श्री टी0वैकंटेस व अन्य	-	-	-	अवमाननावाद के निर्णय दिनांक-05.10.2018 के अनुपालन हेतु उच्चाधिकारियों से बजट की मांग की गयी है कि मांग हेतु उक्त अवमाननावाद दायर किया गया है। बजट हेतु शासन स्तर पर लम्बित है।	-
5	उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की/अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।	756/2018	शेखर	श्री राजेन्द्र कुमार गौतम व श्री दिनेश कुमार अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की।	2255/2012	-	-	श्री शेखर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक-31.10.2018 का अनुपालन न किये जाने के कारण अवमाननावाद दायर किया गया है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्रकरण स्थायी अधिवक्ता (उ0प्र0) मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उपलब्ध करा दिया गया है।	-

**मा0राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।**

मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	उक्त अवमानना याचिका में मा0 अधिकरण द्वारा Compliance हेतु दिनांक 12.03.2018 की तिथि नियत की गयी थी श्री चन्द्रशेखर कुमार मंगलम बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं इनके मण्डल का नाम बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-2 मिर्जापुर है। वर्तमान में श्री मंगलम द्वारा अवशेष एरियर का बीजक तैयार कर अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय को कास रिफ्रेन्सिंग हेतु प्रेषित किया गया था जिसे कास रिफ्रेन्सिंग करने के पश्चात श्री सी0के0मंगलम अधिशासी अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण खण्ड710 मिर्जापुर को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जिसका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या-505/लेखा अनुभाग/दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री चन्द्र शेखर कुमार मंगलम अधिशासी अभियन्ता के संशोधित वेतन निर्धारण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अवमानना याचिका में Compliance उच्चाधिकारियों द्वारा ही किया जाना है।	-
2	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिव दास, जूनियर इंजीनियर	प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	2052/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बैंच द्वारा रिट याचिका संख्या-15399/2016 दाखिल कर दिया गया है। तथा मा0 अधिकरण में नियम-24 के तहत दाखिल प्रा0 पत्र संख्या- 32/2017 की सुनवाई रोकने हेतु शपथ-पत्र मा0 अधिकरण में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल कर दिया गया है। वर्तमान में रिट याचिका संख्या-15399/2016 में रिज्वाइन्डर दिनांक 19.02.2018 दाखिल करा दिया गया है। विभागा द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या-15399/2016 सरकार बनाम शिव दास एवं अन्य को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को डिसमिस कर दिया गया है। शासन के पत्र संख्या-1234/18-27-सिं0-6-1निया/2015 दिनांक 17.04.2018 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय मांगी गयी है।	-

मुख्य अभियन्ता (नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

क 0 सं 0	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	534/2015	सच्चिदानन्द त्रिपाठी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता रिट याचिका संख्या 1070/ 2006 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-28. 04.2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया गया अपने निस्तारण द्वारा व्याज धन राशि पर 12 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत व्याज दिये जाने के निर्देश है।	अवमाननावाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-20.02.2018 को अपने आदेश दिनांक-28.04.2015 का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश पारित किया गया है।	शासन से भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी।	पुनर्विचार याचिका मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल कर दिया गया है। आगामी तिथि-30.01.2019 निर्धारित है।	—

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना  
विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	माह जनवरी 2012 से माह जनवरी-2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह जनवरी-2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>1348</b>	<b>1097</b>	<b>2445</b>	<b>1266</b>	<b>967</b>	<b>2228</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	19 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 68 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 19+68=87

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिसासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन  
 मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना  
 विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह जनवरी 2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह जनवरी 2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	9	10	1	8	9	0	1	1	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या-5763/एस0एस0/2012 मिनि0एसो0इरी0डिपा0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहा है।
3	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ	0	5	5	0	4	4	0	1	1	-
4	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 परियोजना, लखनऊ	2	6	8	2	5	7	0	0	0	01 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	गण्डक, गोरखपुर	91	29	120	84	27	111	7	2	9	-
7	शारदा सहायक, लखनऊ	59	214	273	48	139	187	4	19	23	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। ( 07 + 56=63)
8	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-

9	सरयू-प्रथम, अयोध्या	3	120	123	3	113	116	0	2	2	1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	79	13	92	71	12	83	1	1	2	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	81	11	92	80	11	91	1	0	1	-
12	जल संसाधन लखनऊ	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
13	रामगंगा कानपुर।	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	शारदा बरेली	35	126	161	34	122	156	1	1	2	1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये हैं कि 'याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0 प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा मुखरित आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतः इस वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2- वाद संख्या-4984/एम0एस0/2017 अमरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 3- वाद संख्या-7101/एम0एस0/2013 बिन्दुसागर वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
15	बाणसागर, प्रयागराज	20	3	23	16	3	19	4	0	4	
16	सोन वाराणसी	175	7	182	160	7	167	15	0	15	-
17	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	18	31	49	16	29	45	2	2	4	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।



18	बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	-
19	गंगा, मेरठ	7	0	7	2	0	2	5	0	5	-
20	कनहर, मिर्जापुर	9	1	10	9	1	10	0	0	0	-
21	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 07/2018 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के आवश्यकता नहीं।
22	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-
23	यमुना ओखला, नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7)
24	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25	नलकूप मध्य, लखनऊ	89	155	244	88	147	235	1	8	9	-
26	नलकूप पश्चिम, मेरठ	129	82	211	123	76	199	6	6	12	-
27	नलकूप, वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	-
28	नलकूप, पूर्व अयोध्या	28	176	204	26	161	187	2	15	17	-
29	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	25	17	42	24	17	41	1	0	1	-

30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	योग	<b>1348</b>	<b>1097</b>	<b>2445</b>	<b>1266</b>	<b>967</b>	<b>2233</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	19 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 68वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 19+68=87	

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशारी अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियनता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)